FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम जायल

अमरू देवी बनाम हेमराज वगैरा

किस्म मुकदमा रा० का० 88, 40, 91, 188 207 RTAct नं. 94 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/07/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 40, 91, 188 207 RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/08/19 को पेश हो।	
13/08/19	अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 17/09/19 को पेश हो।	
17/09/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 22/10/19 को पेश हो।	
22/10/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 का सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से वकील श्री रुघाराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या-1,3 से 8 की ओर से वकील श्री [illegible] राम सियाग द्वारा वकालतनामा मय [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) जायल

जवाबदावा पेश कीया गया जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। प्रतिवादी संख्या-9 व 11 के सम्मन तामील मय तामिल मय प्राप्त/इन्तजार होकर पत्रावली प्रतिवादी संख्या-2 के जवाब हेतु दिनांक 04/12/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

04/12/19

वादी व प्रतिवादी संख्या-1 से 8 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-9 व 10 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा वकालतनामा व जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-7 की फौतगी सूचना मय संशोधित शिजरा पेश किया गया जिसे रेकर्ड पर लिया जाकर पत्रावली किया गया। वादी वकील प्रतिवादी संख्या-7 के कायम मुकाम के सम्मन पेश करे। तथा प्रतिवादी संख्या-2 के वकील जवाब पेश करें। पेश होने पर पत्रावली दिनांक-14/01/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

14/01/2020

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-7 के कायम मुकाम 7/1 की ओर से वकील श्री नरपत प्रुनड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया. फाईनल पेश करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक-11/02/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

11/02/2020

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया फाईनल पेश करना चाहते है पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24/02/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/02/2020	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-5 की फौतगी सूचना मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र व संशोधित शीर्षक स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 की की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-7/1 के अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अतः जिनका जवाब बन्द किया जाता है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 20/04/2020 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
20/04/2020	आज पत्रावली पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों मे व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/2020 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
24/06/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों मे व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/09/2020 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/09/2020	पक्षकारान फरीकेन उपस्थित / वादी साहब अनुपस्थित आदेश पेश करना चाहते हो। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
21.10.2020	पक्षकारान फरीकेन उप०/ वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादिनी स्वयं PW-1 अमरूदेवी पुत्री सुजाराम पत्नी गिरधारीराम जाति जाट नि. माडपुरा बरवाला हाल नि. गांधी नगर बाड़मेर तह. व जिला बाड़मेर तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप DW-1 हेमराज गोदपुत्र कुशलाराम जाति जाट नि. भगोणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तह. बायतु जिला बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादिनी का वाद व प्रतिवादी सं. 5 से 10 का काउन्टर क्लेम (प्रतिदावा) स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिकरी पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 94/2019

वादीनी

1. अमरूदेवी पुत्री सुजाराम पत्नी गिरधारीराम जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला, हाल निवासी गांधी नगर बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हेमराज गोदपुत्र तुलछाराम
2. वगतु पुत्री तुलछाराम
3. ठाकराराम पुत्र उदाराम
4. दमी पत्नी उदाराम जाति जाट निवासी भगोणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर
5. तीजोदेवी पुत्री सुजाराम पत्नी भोपालराम फौत के कायम मुकाम
   5/1. पूनमाराम पुत्र भोपालराम
   5/2. श्रवण कुमार पुत्र भोपालराम
   5/3. मगाराम पुत्र भोपालराम जाति जाट निवासी लापला, कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर
6. लाली पुत्री सुजाराम पत्नी मोटाराम जाति जाट निवासी बांकनाडी, बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर
7. माडूदेवी पुत्री सुजाराम पत्नी भूराराम फौत के कायम मुकाम
   7/1. मगाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बाण्डा तालर, छीतर का पार तहसील बायतु जिला बाड़मेर
8. भगवतीदेवी पुत्री सुजाराम पत्नी लिखमाराम जाति जाट निवासी न्यू पाली रोड़ घांसी कॉलोनी, भगत की कोठी, जोधपुर
9. बाबूलाल पुत्र रायचन्दराम
10. आगाराम पुत्र रायचन्दराम जाति जाट निवासी भगोणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.</u>

उपस्थित :– 1. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील वादीनी
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 2
3. श्री रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 8
4. श्री घमण्डाराम सारण वकील प्रतिवादी संख्या 9 से 10
5. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रतिवादी संख्या 7/1

–: निर्णय :–

दिनां[illegible]10.2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीनी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की संयुक्त व पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा भगोणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 199, 202, 641/185, 670/200 रकबा क्रमशः 00.08, 00.16, 144.00, 47.07 बीघा कुल रकबा 192. 11 बीघा में आई हुई है जिस पर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का संयुक्त व सामलाती रूप से कब्जा काश्त है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में उनके पूर्वज सुजाराम से प्राप्त हुई। वादीनी के पिता सूजा के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि का फौतगी नामान्तरकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता तुलछा व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता व पति उदा के नाम से पारित किया गया जबकि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 भी सूजा की जायंदा पुत्री व विधिक वारिशान थी। वादग्रस्त भूमि पर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपने-अपने हिस्से में रहवासी ढाणियां आदि बने हुए है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 670/200 में से अपने विधिक 1/7 हिस्सा से अधिक भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को कर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को सहखातेदार दर्ज करवा दिया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा अपने विधिक 1/7 हिस्से से अधिक भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को किये जाने से अधिक भूमि का बैचान शून्य व निष्प्रभावी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीनी की पैतृक भूमि है और वादीनी अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीनी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीनी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीनी 1/7 हिस्से की सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है। वादीनी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 8 की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा वकालातनामा मय इकबाली जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर वादपत्र के समस्त पदों को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की ओर से वकालातनामा व जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण की ओर से वकालातनामा व जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। वादी वकील द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का हित सुरक्षित रखते हुए स्वीकार [illegible]। वादी वकील द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 5 व 7 के फौतगी की सूचना मय संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे रेकर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 7 फौत के कायम मुकाम 7/1 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा वकालातनामा पेश किया तथा जवाब पेश नहीं करने का निवेदन किया गया अतः जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्व कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई है। वादीनी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादीनी स्वयं PW-1 अमरूदेवी पत्नी सुजाराम तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 हेमराज गोदपुत्र के शपथ पत्र पेश किये गये।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीनी एवं प्रतिवादीगण के वकील को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीनी के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीनी सुजा की विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीनी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त आराजी में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 10 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा भगोणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 199, 202, 641/185, 670/200 रकबा क्रमशः 00.08, 00.16, 144.00, 47.07 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ वादीनी व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, खसरा नम्बर 199, 202, 641/185 रकबा क्रमशः 00.08, 00.16, 144.00 में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/7 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 670/200 रकबा 47.07 बीघा में से पूर्व में बेचान किये गये 23.13 बीघा भूमि को छोड़कर शेष भूमि में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/7 हिस्सा घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीनी — अमरूदेवी

बनाम

प्रतिवादीगण — हेमराज वगैरा

दावा बाबत 88, 40, 91, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–94/2019.

निर्णय दिनांक :–21.10.2020

वादीनी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी व प्रतिवादी संख्या 1, व 3 से 8 की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़, प्रतिवादी संख्या 9 से 10 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण एवं प्रतिवादी संख्या 7/1 की ओर से नरपत पूनड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.10.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीनी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 10 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर मौजा भगोणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 199, 202, 641/185, 670/200 रकबा क्रमशः 00.08, 00.16, 144.00, 47.07 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ वादीनी व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, खसरा नम्बर 199, 202, 641/185 रकबा क्रमशः 00.08, 00.16, 144.00 में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/7 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 670/200 रकबा 47.07 बीघा में से पूर्व में बैचान किये गये 23.13 बीघा भूमि को छोड़कर शेष भूमि में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/7 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:02:02 IST
Reason: SelfAttested